15/2/23 अभिभाषकगण उपस्थित, अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गई। पत्रावली में मुताबिक इकबालिया जवाब द्वारा वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल किया गया। निर्णय शामिल पत्रावली है। पर्चा डिक्री हेतु स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किए जाने पर पर्चा डिक्री जारी हो।

17/2/23 निर्णय दिनांक 15/2/23 की पालना में वादीगण द्वारा जरिए वकील प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर पत्रावली पेश की गई। वादीगण द्वारा जरिए वकील निर्णय दिनांक 15/2/23 की पालना में स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किए गये। अतः पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली में अन्य कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। पत्रावली नस्तीबद्ध हो। पत्रावली दायरा पंजिका के क्रम से कम की जाकर रिकॉर्ड निर्णय की फाईल में शामिल हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – श्री मनोज कुमार मीना, आर.ए.एस.

वादपत्र संख्या 004/2022
अन्तर्गत धारा 88, 91, 188, 92ए, 209 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. गोपीराम पुत्र स्व. गणपतराम सुथार निवासी 4 आरआरडबल्यु ढाणी रोड़ावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. सोहन लाल पुत्र स्व. गणपतराम सुथार निवासी 4 आरआरडबल्यु ढाणी रोड़ावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज.) **........वादीगण**

ब ना म

1. उमेशचन्द्र पुत्र स्व. रामेश्वरी देवी पुत्री स्व. गणपतराम सुथार निवासी कोहला तहसील व जिला हनुमानगढ़
2. लक्ष्मी देवी पुत्री स्व. रामेश्वरी देवी पुत्री स्व. गणपतराम सुथार निवासी कोहला तहसील व जिला हनुमानगढ़
3. कांता देवी पुत्री स्व. रामेश्वरी देवी पुत्री स्व. गणपतराम सुथार निवासी कोहला तहसील व जिला हनुमानगढ़
4. शीला देवी पुत्री गणपतराम पत्नी नारायण राम सुथार निवासी गणेशगढ़ तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
5. कलावती देवी पुत्री स्व. चेतराम पुत्र स्व. गणपतराम सुथार निवासी रोहिड़ावाली सुथारान तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
6. कमला पुत्री स्व. चेतराम पत्नी मनोहर लाल सुथार निवासी कटेहड़ा तहसील व जिला फाजिल्का।
7. नीतू पुत्री स्व0 राधेश्याम पुत्र स्व. चेतराम सुथार निवासी रोहिड़ावाली सुथारान तहसील व जिला श्रीगंगानगर
8. सपना पुत्री स्व0 राधेश्याम पुत्र स्व. चेतराम सुथार निवासी रोहिड़ावाली सुथारान तहसील व जिला श्रीगंगानगर
9. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार साहब, श्रीगंगानगर। ...... **प्रतिवादीगण**

उपस्थित–	श्री बलराम सुथार	(वादी)
	श्री सतनाम सिंह	(प्रतिवादी 01–04)
	श्री गुलशन कमार	(प्रतिवादी 05–06)
	श्री मुकेश भण्डारी	(प्रतिवादी 07–08)
	पैरोकार राज	(प्रतिवादी–09)

दिनांक 15 फरवरी, 2023

–निर्णय–

वाद पत्र के तथ्यों के अनुसार वादी द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 91, 188, 92ए, 209 आर टी एक्ट बरबिनाए जमाबंदी पारिवारिक समझौता का ज्ञापन तथा अन्य हर किस्म का पेश किया कि वादीगण के पिता स्व0 गणपतराम पुत्र नारायण राम सुथार निवासी रोहिड़ावाली तहसील श्रीगंगानगर के नाम से चक 4 एच बड़ा तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या–23/0 मुरब्बा नम्बर–21,45,72/43 की कुल 5.947 हैक्टेयर खातेदारी दर्ज है, इसके अलावा स्व. गणपतराम के नाम से चक 4 आर आर डबल्यु तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या–37/45 मुरब्बा नम्बर–21,22,31,123/235 का 3.795 हैक्टेयर भी खातेदारी दर्ज है। वादीगण के पिता गणपतराम व वादीगण की

सहायक कलक्टर एवं
कार्यापालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

माता किस्तूरी देवी के देहान्त हो चुके है जिनके जायज वारिस चेतराम, गोपीराम, सोहन लाल तीन पुत्र व रामेश्वरी देवी तथा शीला देवी दो पुत्रीयां हुई, चेतराम का देहान्त हो चुका है जिनके जायज वारिस प्रतिवादी संख्या–5 ता 8, रामेश्वरी देवी का देहान्त हो चुका है जिनके जायज वारिस प्रतिवादी संख्या–1 ता 3 है। कालांतर में वादीगण व प्रतिवादीगण 1 ता 8 के बीच स्व. गणपतराम की उपरोक्त सम्पति को लेकर विवाद पैदा हुआ जिस पर पंचायत होने पर प्रतिवादी संख्या–4 व स्व. रामेश्वरी देवी के वारिसान प्रतिवादी संख्या–1 ता 3 ने पंचायत के सामने यह स्वीकार किया कि उपरोक्त सम्पति की आय से चूंकि रामेश्वरी देवी व शीला देवी की शादीयां हुई, इस कारण उन्होने पिता के देहान्त के उपरान्त कोई हक हिस्सा ना लेने का पहले से ही कह दिया था, इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादी संख्या–5 ता 8 के हिस्सा में दोनो चकों की भूमि आयी मगर पारिवारिक समझौता तहरीर में ना आने के कारण पुनः विवाद होने से पारिवारिक समझौता दिनांक–01.07.2021 को तहरीर में लाया गया जिसके अनुसार वादीगण को दोनो जिलों की उपरोक्त दोनो चकों की जो भूमि पारिवारिक समझौता में प्राप्त हुई उस पर उनका कब्जा चला आ रहा है। चक 4 एच बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या–23 की भूमि में से वादीगण को पारिवारिक समझौता में निम्नलिखित कृषि भूमि प्राप्त हुई। (1) वादी संख्या–1 गोपीराम के हिस्सा व कब्जा में आयी भूमि :– चक 4 एच बड़ा तहसील श्रीगंगानगर के पूर्व खाता संख्या–14/15 नया खाता संख्या–23 के मुरब्बा नम्बर–45 के किला नम्बर–19 का 10 बिस्वा, 20 का 10 बिस्वा, 21 ता 25 सालम कुल 6 बीघा (2) वादी संख्या–2 सोहन लाल के हिस्सा व कब्जा में आयी भूमि :– चक 4 एच बड़ा तहसील श्रीगंगानगर के पूर्व, खाता संख्या–14/15 नया खाता संख्या–23 के मुरब्बा नम्बर–45 के किला नम्बर–11 का 15 बिस्वा, 19 का 10 बिस्वा, 20 का 10 बिस्वा कुल 6 बीघा। अब वादीगण अपने हिस्सा में आयी चक 4 एच बड़ा की भूमि में सुधार कार्य करवाना चाहते है मगर राजस्व रिकार्ड में भूमि स्व. गणपतराम के नाम दर्ज होने से व गणपतराम के जायज वारिस वादीगण व प्रतिवादीगण 1 ता 8 होने से वादीगण के सुधार कार्य करवाने में बाधा पैदा हो रही है, अतः वादीगण के लिए अपने अधिकारों की घोषणा करवाना व कब्जा काश्त के आधार पर भूमि खातेदारी दर्ज करवाना आवश्यक हो गया है। वादीगण ने प्रतिवादीगण 1 ता 8 से बार–बार आग्रह किया कि वह चक 4 एच बड़ा की उपरोक्त भूमि का वादीगण को पारिवारिक समझौता के आधार पर खातेदार काश्तकार हकदार मानकर राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम दर्ज करवाये मगर प्रतिवादीगण के मन में गलत लालच आने के कारण टालमटोल करते हुए कल दिनांक–04.11.21 को साफ इंकारी है जो कि यही बिनाए मुखासमत है। उपरोक्त कृषि भूमि श्रीमान न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में स्थित होने से वाद वादीगण काबिल समाअत अदालतवाला है तथा तारीख इंकारी से बिना किसी देरी के उचित न्यायशुल्क पर पेश है। कि प्रतिवादी संख्या–9 लैण्ड होल्डर होने से आवश्यक पक्षकार है इसलिए पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है। लिहाजा वाद वादीगण पेश करके अर्ज है कि वाद वादीगण बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री किया जावे :– (क) डिक्री घोषणा इस अमर की सादिर की जावे कि चक 4 एच बड़ा तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या–23, मुरब्बा नम्बर–21,45,72/43 की कुल 5.947 हैक्टेयर में से वादीगण को स्व. गणपतराम का नाम हटाते हुए पारिवारिक समझौता के आधार पर निम्न भूमि का खातेदार काश्तकार हकदार घोषित करते हुए राजस्व रिकार्ड में भूमि दर्ज करने का आदेश फरमाया जावे – (1) वादी संख्या–1 गोपीराम को चक 4 एच बड़ा तहसील श्रीगंगानगर के पूर्व खाता संख्या–14/15 नया खाता संख्या–23 के मुरब्बा नम्बर–45 के किला नम्बर–19 का 10 बिस्वा, 20 का 10 बिस्वा, 21 ता 25 सालम कुल 6 बीघा (2) वादी संख्या–2 सोहन लाल को चक 4 एच बड़ा तहसील श्रीगंगानगर के पूर्व खाता संख्या–14/15 नया खाता संख्या–23 के मुरब्बा नम्बर–45 के किला नम्बर–11 का 15 बिस्वा, 19 का 10 बिस्वा, 20 का 10 बिस्वा कुल 6 बीघा (ख) डिक्र स्थाई निषेधाज्ञा इस अमर की सादिर की जावे कि प्रतिवादीगण वादीगण के कब्जा काश्त की उपरोक्त भूमि में मदाखलत करने उनके शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग में बाधा पैदा करने से बाज व मामून रहे।

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
([illegible]) श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक 09.03.2022 को प्रतिवादी संख्या–5 व 6 द्वारा सहमति का जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया गया। काउन्टर क्लेम अनुसार चक 4 एच बड़ा के खाता संख्या–23 के मुरब्बा नम्बर–21 के किला नम्बर–4,5,6,7,14,15, 16,17 व किला नम्बर–25 में 0.101 हैक्टेयर भूमि पारिवारिक बंटवारे अनुसार हिस्सा में आयी हुई है। जिसका खातेदार घोषित कर मामला कायम करने का आदेश दिया जावे।

दिनांक 30.05.2023 को प्रतिवादी संख्या–7,8 द्वारा भी अपने जवाब दावा में सहमति का जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया। जिसके अनुसार प्रतिवादी संख्या–7,8 को चक 4 एच बड़ा के खाता संख्या–23 मुरब्बा नम्बर–21,45,72/43 की कुल 5.947 हैक्टेयर में से मुरब्बा नम्बर–21 के किला नम्बर–25 में 0.127 हैक्टेयर व मुरब्बा नम्बर–45 के किला नम्बर–16,17 सालम कुल 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि कब्जाकाश्त में चली आ रही है जिसका खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर मामला लगान कायम करने का आदेश फरमाया जावे।

दिनांक 29.09.2022 प्रतिवादी संख्या–1 का इकबाल दावा प्रस्तुत हुआ। प्रतिवादी संख्या–2, 3 का इकबाल दावा मय काउन्टर क्लेम पेश हुआ जिसके अनुसार प्रतिवादी संख्या–2, 3 को चक 4 एच बड़ा के खाता संख्या–23 मुरब्बा नम्बर–21,45,72/43 की कुल 5.947 हैक्टेयर में से पारिवारिक बंटवारे ज्ञापन अनुसार मुरब्बा नम्बर–45 के किला नम्बर–18 कुल 1 बीघा जमीन का खातेदार घोषित करवाने का अधिकारी है और प्रतिवादी संख्या–4 द्वारा अपने जवाबदावा में दावे को स्वीकार कर कोई विरोध प्रकट नहीं किया और अपना हिस्सा वादी व वादी संख्या–1 को 1/3 हिस्सा व वादी संख्या–2 को 1/3 हिस्सा और 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या–5 के हक में छोड़ दिया।

दिनांक 15.02.2022 को जवाब राज्य पक्ष प्रस्तुत कि।

अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं अभिलेखीय साक्ष्यों क्रमशः चक 4 एच बडा, पटवार हल्का रोहिड़ावाली, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र शिवपुर की जमाबन्दी सम्बत 2070–2073 के खाता संख्या 23, चक 2 पी बड़ी, पटवार हल्का रोहिडावाली, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र शिवपुर की जमाबन्दी सम्बत 2072–2075 के खाता संख्या 13/12 तथा पारिवारिक बंटवारनामा दिनांक 01.07.2021 की प्रमाणित प्रतियों के आधार पर एवं पारिवारिक बंटवारा/इकबालिया जवाब दावा मय काउण्टर क्लेम अनुसार वाद वादीगण स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 08 की सहमति/काउण्टर क्लेम के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी संख्या–01 को चक 4 एच बड़ा तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या–23 के मुरब्बा नम्बर–45 के किला नम्बर–19 का 10 बिस्वा, 20 का 10 बिस्वा, 21 ता 25 सालम कुल 6 बीघा कृषि भूमि, वादी संख्या–02 को चक 4 एच बड़ा तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या–23 के मुरब्बा नम्बर–45 के किला नम्बर–19 का 10 बिस्वा, 20 का 10 बिस्वा, 11 ता 15 सालम कुल 6 बीघा कृषि भूमि, प्रतिवादी संख्या–02 व 03 को चक 4 एच बड़ा तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या–23 के मुरब्बा नम्बर–45 के किला नम्बर–18 कुल 1 बीघा कृषि भूमि, प्रतिवादी संख्या–05 व 06 को चक 4 एच बड़ा तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या–23 के मुरब्बा नम्बर–21 के किला नम्बर–4, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 17 व किला नम्बर–25 में 0.101 हैक्टेयर कृषि भूमि, प्रतिवादी संख्या–07 व 08 को चक 4 एच बड़ा तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या–23 के मुरब्बा नम्बर–21, 45, 72/43 की कुल 5.947 हैक्टेयर कृषि भूमि में से मुरब्बा नम्बर–21 के किला नम्बर–25 में 0.127 हैक्टेयर व मुरब्बा नम्बर–45 के किला नम्बर–16, 17 कुल 2 बीघा 10 बिस्वा कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है।

2023

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करें। उक्त वर्णित भूमि पर ऋण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवं उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा। खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार पर्चा डिकी हेतु स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किए जाने पर आदेशानुसार पर्चा डिकी जारी की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 15.02.2023 को जारी किया गया।

मनोज कुमार मीना
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीगंगानगर

डिकी

(ORDER 20 RULE 6-7 CPC)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी – श्री मनोज कुमार मीना, आर.ए.एस.

वादपत्र संख्या 004/2022

अन्तर्गत धारा 88, 91, 188, 92ए, 209 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. गोपीराम पुत्र स्व. गणपतराम सुथार निवासी 4 आरआरडबल्यु ढाणी रोड़ावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. सोहन लाल पुत्र स्व. गणपतराम सुथार निवासी 4 आरआरडबल्यु ढाणी रोड़ावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज.)

.......वादीगण

ब ना म

1. उमेशचन्द्र पुत्र स्व. रामेश्वरी देवी पुत्री स्व. गणपतराम सुथार निवासी कोहला तहसील व जिला हनुमानगढ़
2. लक्ष्मी देवी पुत्री स्व. रामेश्वरी देवी पुत्री स्व. गणपतराम सुथार निवासी कोहला तहसील व जिला हनुमानगढ़
3. कांता देवी पुत्री स्व. रामेश्वरी देवी पुत्री स्व. गणपतराम सुथार निवासी कोहला तहसील व जिला हनुमानगढ़
4. शीला देवी पुत्री गणपतराम पत्नी नारायण राम सुथार निवासी गणेशगढ़ तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
5. कलावती देवी पुत्री स्व. चेतराम पुत्र स्व. गणपतराम सुथार निवासी रोहिड़ावाली सुथारान तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
6. कमला पुत्री स्व. चेतराम पत्नी मनोहर लाल सुथार निवासी कटेहड़ा तहसील व जिला फाजिल्का।
7. नीतू पुत्री स्व0 राधेश्याम पुत्र स्व. चेतराम सुथार निवासी रोहिड़ावाली सुथारान तहसील व जिला श्रीगंगानगर
8. सपना पुत्री स्व0 राधेश्याम पुत्र स्व. चेतराम सुथार निवासी रोहिड़ावाली सुथारान तहसील व जिला श्रीगंगानगर
9. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार साहब, श्रीगंगानगर। ...... प्रतिवादीगण

उपस्थित–	श्री बलराम सुथार	(वादी)
	श्री सतनाम सिंह	(प्रतिवादी 01–04)
	श्री गुलशन कमार	(प्रतिवादी 05–06)
	श्री मुकेश भण्डारी	(प्रतिवादी 07–08)
	पैरोकार राज	(प्रतिवादी–09)

दिनांक 17 फरवरी, 2023

वादपत्र संख्या 004/2022

अन्तर्गत धारा 88, 91, 188, 92ए, 209 राज. काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण में न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर द्वारा वादीगण अधिवक्ता श्री बलराम सुथार, प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 04 अधिवक्ता श्री सतनाम सिंह, प्रतिवादीगण संख्या 05 ता 06 अधिवक्ता श्री गुलशन कुमार, प्रतिवादीगण संख्या 07 ता 08 अधिवक्ता श्री मुकेश भण्डारी व पैरोकार राज प्रतिवादी संख्या 08 की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि –

17.2.23

Scanned with OKEN Scanner

वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 08 की सहमति/काउण्टर क्लेम के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी संख्या–01 को चक 4 एच बड़ा तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या–23 के मुरब्बा नम्बर–45 के किला नम्बर–19 का 10 बिस्वा, 20 का 10 बिस्वा, 21 ता 25 सालम कुल 6 बीघा कृषि भूमि, वादी संख्या–02 को चक 4 एच बड़ा तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या–23 के मुरब्बा नम्बर–45 के किला नम्बर–19 का 10 बिस्वा, 20 का 10 बिस्वा, 11 ता 15 सालम कुल 6 बीघा कृषि भूमि, प्रतिवादी संख्या–02 व 03 को चक 4 एच बड़ा तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या–23 के मुरब्बा नम्बर–45 के किला नम्बर–18 कुल 1 बीघा कृषि भूमि, प्रतिवादी संख्या–05 व 06 को चक 4 एच बड़ा तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या–23 के मुरब्बा नम्बर–21 के किला नम्बर–4, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 17 व किला नम्बर–25 में 0.101 हैक्टेयर कृषि भूमि, प्रतिवादी संख्या–07 व 08 को चक 4 एच बड़ा तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या–23 के मुरब्बा नम्बर–21, 45, 72/43 की कुल 5.947 हैक्टेयर कृषि भूमि में से मुरब्बा नम्बर–21 के किला नम्बर–25 में 0.127 हैक्टेयर व मुरब्बा नम्बर–45 के किला नम्बर–16, 17 कुल 2 बीघा 10 बिस्वा कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है। अतः डिक्री जारी की जाती है।

रूपये ...शून्य ....वास्ते...शून्य. ....खर्चा इस प्रकरण पर हुऐ व्यय मय ब्याज..शून्य..... दर वार्षिक ..शून्य .....आज की तिथि से वसूली दिवस तक अदा करें

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 17 फरवरी, 2023 को जारी की गयी.

17/2/23

मनोज कुमार मीना
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर

वादी	राशि (00.00)	प्रतिवादी	राशि (00.00)
स्टाम्प वादपत्र	00.00	स्टाम्प वकालतनाम	00.00
स्टाम्प वकालतनाम	00.00	स्टाम्प आवेदनपत्र	00.00
स्टाम्प अभिलेखीय साक्ष्य	00.00	वकील शुल्क	00.00
वकील शुल्क	00.00	व्यय साक्षीगण	00.00
व्यय साक्षीगण	00.00	आयुक्त शुल्क	00.00
आयुक्त शुल्क	00.00	व्यय इजराय	00.00
कुल	**00.00**	**कुल**	**00.00**

मनोज कुमार मीना
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner